



2026:AHC:60131

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2618/2026

विनोद कुमार शर्मा @ लोली पॉप

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

पंकज शर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री ओ0पी0 सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज मामले संख्या 56/1999 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आवेदक को जमानत दी गई थी और उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह अवर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। यह भी निवेदन किया जाता है कि इस मामले की

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कार्यवाही आगरा से मथुरा स्थानांतरित कर दी गई थी। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक को मामले की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए वह अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। आवेदक, जो 9 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह रिहाई का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक 2008 से फरार है।

5. इस मामले में आवेदक को जमानत दी गई थी और आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और वह अवर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि इस मामले की कार्यवाही को आगरा से मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक को मामले की कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए वह अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। आवेदक, जो 09.10.2025 से जेल में बंद है।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में आरोपी **विनोद कुमार शर्मा उर्फ लोली पॉप** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय को इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"